बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

समग्र विकास सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

समग्र विकास सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

माननीय मंत्री सहकारिता

संदेश

सहकारिता विभाग का वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहकारिता एक सशक्त माध्यम है जिसके अन्तर्गत कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना एवं फसलों की क्षति होने पर फसल बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना आदि शामिल है। सहकारिता को एक मूल्य आधारित सशक्त आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना वर्तमान समय की माँग है। इसलिये ''भारतीय संविधान के 97–वे संशोधन'' द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी–समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी–समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौपा गया है।

राज्य के अधिकतम कृषकों तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुँचाने एवं अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उदेश्य से कृषकों का "on-line" निबंधन एवं पर्यवेक्षण/अनुश्रवण किया जा रहा है। संबंधित कृषकों का भुगतान भी उनके 'बैंक–खाता' में सीधे "RTGS/ NEFT" के माध्यम से किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय हैं कि राज्य में पहली बार वैसे कृषकों से भी धान की अधिप्राप्ति की जा रही है जो किसी अन्य के भूमि पर धान का उत्पादन कर रहे है। ऐसे गैर–रैयती कृषक (बटाईदार किसान आदि) से अधिकतम 50 क्विन्टल धान की अधिप्राप्ति की जा रही है।

राज्य में द्वितीय हरित क्रान्ति की सम्भावनाओं को फलीभूत करने तथा हरित क्रान्ति को व्यापकता प्रदान कर सप्तरंगी क्रान्ति में तब्दील करने हेतु महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। कृषि रोड मैप के तहत दूरगामी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता क्षेत्र में व्यापक आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है तथा सहकारिता द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाना एवं मूल्य सम्बर्द्धन हेतु बायोमास गैसीफायर आधारित चावल मिल की स्थापना, उर्वरक आदि के विपणन हेतु कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार अधिकाधिक जन–भागीदारी है। इस जन–भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने कार्य–क्षेत्र के अधिकाधिक व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान करें। सदस्यता हेतु ईच्छुक व्यक्तियों की सहजता एवं सुलभता के लिये सदस्यता का आवेदन ''ऑन–लाईन'' भी प्राप्त किया जायेगा। पायलट आधार पर नालन्दा एवं हाजीपुर में ''ऑन–लाईन सदस्यता अभियान'' का परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहा है।

राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य और अधिक गुणवत्ता के साथ सब्जी उपलब्ध कराने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ–साथ उत्पादों का मूल्य–संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सब्जी उत्पादकों की करीब 35 प्राथमिक सहकारी समितियों का निबंधन किया जा चुका है एवं वांछित अग्रेतर कारर्वाई अंतिम चरण में है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंक को सुदृढ करने एवं अन्य व्यावसायिक बैंकों के समतुल्य कार्य–कुशलता लाने के उदेश्य से IBPS के माध्यम से कार्मिकों की नियुक्ति की गई हैं एवं सहकारी संस्थाओं में वितीय अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अंकेक्षकों एवं सनदी लेखाकारों की सहायता से लगभग 90 प्रतिशत पैक्सों का अंकेक्षण करा लिया गया है।

सहकारी प्रक्षेत्र को बहुआयामी बनाने के लिये भागलपुर जिला में बटेर पालन एवं केला पर आधारित उद्योग और वैशाली में कोल्ड स्टोरेज एवं 'फ्रुट राईपनिंग प्लांट' लगाने पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही चंपारण क्षेत्र में गन्ना आधारित गुड/शक्कर के छोटे उद्योगों एवं वैकल्पिक अन्य मूल्य संवर्द्धक इकाईयों की स्थापना पर विचार कर रही है।

इस प्रकार, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने का प्रयास किया जा रहा है।

आलोक कुमार मेहता

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1-2
2	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	3-4
3	योजनायें एवं उपलब्धियाँ	5-16
	i समेकित सहकारी विकास परियोजना	5-9
	ii फसल बीमा योजना	10-13
	(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	10
	(ख) मौसम आधारित फसल बीमा योजना	11
	(ग) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	12
	(घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	13
	iii राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	14
	iv अधिप्राप्ति	15
	v वार्षिक योजना	16
4	सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	17-21
	I अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढाँचा)	17
	i राज्य सहकारी बैंक लि०	18
	ii केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०	19
	iii. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	20
	II प्रोफेसर बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना	21
5	सुशासन के कार्यक्रम	21-24
6	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	24
7	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	25-26
	i बिहार राज्य सहकारी संघ लि०	25
	ii बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ	25
	iii. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	25
	iv प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	26
	v व्यापार मंडल	26
8	बिहार राज्य भंडार निगम	27-29
परिषिष्ठ-I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	30
परिषिष्ठ-II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	31
परिषिष्ठ-III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	32-33
परिषिष्ठ-IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	34
परिषिष्ठ-V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	35-36

1. प्रस्तावना

वर्ष 2016–17 में सहकारिता विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सरकार के "न्याय के साथ समग्र विकास" की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु आपके समक्ष उपस्थापित है। राज्य के सहकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। सहकारी अर्थव्यवस्था आर्थिक जगत के निजी अर्थव्यवस्था एवं सरकारी अर्थव्यवस्था के बीच एक मध्यम मार्ग है। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं पूँजीवादी व्यवस्था को हतोत्साहित करने के लिये सहकारी समितियों द्वारा समावेशी विकास आवश्यक है। इस कड़ी में समाज के पिछड़े एवं दलित तबकों, अल्पसंख्यकों, छोटे उत्पादकों एवं महिलाओं के समुहों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने हेतु वर्त्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विभाजन के पश्चात् राज्य के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार कृषि और कृषि से संबंद्ध अन्य क्षेत्र है।

सहकारिता विभाग राज्य के किसानों के हित में कृषि रोड–मैप का हमसफर बनकर कृषि विकास के लिए सदैव तत्पर है। वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को और अधिक प्रासांगिक एवं सबल बनाने हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है जिसकी उपेक्षा कर सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना नही की जा सकती है। इसी परिपेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका है। इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी–नीतियों में आमूल–चूल परिवर्तन लाया गया है। इतना ही नही, सहकारिता को और जन–उपयोगी बनाने के लिये अनेक संस्थागत सुधार किए गए हैं तथा सहकारिता के कार्य–कलापों को और पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियॉ अधिनियम–1935 में आवश्यक संशोधन भी किये गये हैं।

बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसके अंतर्गत निबंधित समितियों में उनकी प्रबंधकारिणी का निर्वाचन अब स्वंतत्र एवं पारदर्शी ढंग से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जा रहा है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है वे निम्नवत हैं :–

- भारत के संविधान में किये गये 97–वें संशोधन के आलोक में बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में तदनुसार प्रावधान करने हेतु संशोधन किये गये हैं। सहकारी समितियों के प्रबंधन में अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ–साथ 50% स्थान क्षैतिज आरक्षण के रूप में महिलाओं के लिये सुरक्षित किये गये हैं।
- पैक्सों को व्यापक जनाधार वाली संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान का प्रस्ताव है। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक व्यक्ति को सदस्य बनाने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (PACS) में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर जनतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन के पश्चात् बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा इनका निर्वाचन कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल किया जा चुका है।
- बिहार राज्य सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, बुनकर सहकारी समितियों में भी प्राधिकार से निर्वाचन करा कर प्रजातांत्रिक प्रबंधन की बहाली की गई है।
- खरीफ 2016 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) बन्द कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत खरीफ 2016 मौसम में 1483790 किसानों को बीमित किया गया तथा कुल बीमित राशि 6526.13 करोड़ रू० है। राज्य सरकार की प्रीमियम मद मे देयता लगभग 496 करोड़ रूपया है। क्षतिपूर्ति राशि की गणना फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल के आधार पर की जा रही है। उक्त क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा देय होगा।
- खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 में दिनांक 06.03.17 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से 10.20 लाख मै0 टन धान

की अधिप्राप्ति कर ली गई है।

- भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु बिहार कृषि रोड मैप योजना अतंर्गत वितीय वर्ष 2012–17 तक बिहार राज्य भण्डार निगम के लिए 10.00 लाख मे॰ टन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 2016–17 तक 3.20 लाख मे॰ टन गोदाम क्षमता का अभिवृद्धि हेतु निमाण कार्य जारी है और 1 लाख मै0 टन का गोदाम मार्च, 2017 तक पूर्ण होने की प्रबल संभावना है।
- वर्ष 2012–17 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता के सृजन का लक्ष्य 10.75 लाख मै0 टन निर्धारित की गयी हैं इस लक्ष्य के अनुरूप कुल 3266 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गयी है। सम्प्रति कुल 2975 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं एवं भंडारण क्षमता में 6.713 लाख मै0 टन का अभिवृद्धि हुआ है।
- वर्ष 2012–17 में कुल 440 राईस मिल सह गैसीफायर बनाने की स्वीकृति विभाग ने दी है और 323 राईस मिल सह गैसीफायर का निर्माण हो चुका है। राज्य में विद्युत– व्यवस्था में उतरोत्तर सुधार को देखते हुए अब विद्युत आधारित चावल मिल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है एवं सभी सहकारी बैंको द्वारा Core Banking Solution (CBS) के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। राज्य के सहकारी बैंको की कार्य–कुशलता को अन्य व्यवसायिक बैंको के समतुल्य बनाने के उदेश्य से भारत की प्रतिष्ठित संस्थान आई0 बी0 पी0 एस0 के माध्यम से वर्ष 2016 में 436 सहायक एवं अब तक कुल 123 सहायक–प्रबंधक एवं 697 सहायकों की सीधी नियुक्ति की गयी है। राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिये 30 ए0 टी0 एम0 का सफल संचालन किया जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय हैं कि नाबार्ड से राज्य के सहकारी बैंकों में कुल 129 ए0 टी0 एम0 एवं 700 माइको ए0 टी0 एम0 स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। मार्च, 2017 तक सहकारी बैंको के सभी कियाशील के0 सी0 सी0 को "रूपे कार्ड" में परिवर्तित कर दिये जाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इस परियोजनान्तर्गत गोदाम निर्माण, चावल मिल एवं गैसीफायर का भी निर्माण कराया जा रहा हैं साथ ही रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन का कियान्वयन भी किया जा रहा हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम, प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं चयनित समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विस्तार तथा पणन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यो के लिए आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिए मार्जिन मनी के रूप में सहायता देने का प्रावधान है। मानव संसाधन के विकास हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है तथा 12 जिलों में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
- मुख्यमंत्री नवाचार योजना अन्तर्गत राज्य में सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन हेतु सहकारी समितियों के गठन की कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न जिलों में 35 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी कृषक सहयोग समितियों का निबंधन किया जा चुका है।
- भविष्य की योजनाओं में भागलपुर जिला में बटेर पालन, केला पर आधारित उद्योग एवं सिल्क उद्योग तथा वैशाली में कोल्ड स्टोरेज एवं 'फ्रुट राईपनिंग प्लान्ट' और चंपारण क्षेत्र में गुड़/खंडसारी आधारित लधु उद्योगों को सहकारिता के माध्यम से विकसित करने की योजनाएँ विचाराधीन है।

2. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ :-

क्र.सं.	योजना	बीमित कृषको की संख्या	बीमित राशि/उपलब्धि
1	**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**		
	(क) रब्बी 2014-15	1579229 कृषक	5365.90 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(ख) खरीफ-2015	16,55,219	5834.59 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(ग) रब्बी-2015-16	14,36,393	5194.36 करोड़ रू० का फसल बीमित
2	**मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)**		
	(क) रब्बी 2012-13 मौसम	1637202 कृषक	4220.24 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(ख) खरीफ 2013 मौसम	1433798 कृषक	3324.98 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(ग) रब्बी 2013-14 मौसम	2153117 कृषक	5018.99 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(घ) खरीफ 2014 मौसम	1846845 कृषक	3826.65 करोड़ रू० फसल बीमित
3	**संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**		
	(क)रब्बी 2011-12 मौसम	40360 कृषक	107.98 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(ख) खरीफ 2012 मौसम	344729 कृषक	852.15 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(ग) खरीफ 2013 मौसम	431131 कृषक	984.14 करोड़ रू० का फसल बीमित
	(घ) खरीफ मौसम 2014	447997 कृषक	492.42 करोड़ रू० का फसल बीमित
4	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**		
	(क)खरीफ 2016	14,83,790	6526.13 करोड़ रू० का फसल बीमित
5	**अधिप्राप्ति**		
	(क) खरीफ 2015-16 मौसम (धान)/(सी०एम०आर०)	6726 पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा	18.23 लाख मे०टन धान 11.92 लाख मे० टन सी०एम०आर०
	(ख) खरीफ 2016-17 मौसम (धान)		10.20 लाख मे०टन (06.03.2017 तक)
6	**राष्ट्रीय कषि विकास योजना/राज्य योजना**		
	(क) वर्ष 2016-17 में पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण हेतु	**लक्ष्य (राज्य योजना)** 419	**उपलब्धि (राज्य योजना, RKVY एवं ICDP)** 209 (पूर्ण) 673 (निर्माणाधीन) (बैकलॉग सहित)
	(ख) वर्ष 2016-17 में पैक्स/व्यापार मंडल में गैसीफायर-सह-चावल मिल की स्थापना हेतु	50	50 (पूर्ण) 120 (निर्माणाधीन)(बैकलॉग सहित)
7	**कृषि रोड मैप**		
	(क) वर्ष 2016-17 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य - 419	लक्ष्य - 61.33 करोड़ रू० स्वीकृत 43.38 करोड़ प्राप्त
	(ख) वर्ष 2016-17 में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना	50 पैक्स एवं व्यापार मंडल	लक्ष्य 29.72 करोड़ रू० स्वीकृत 0.00
	(ग) पैक्सो को सामान व्यवसाय विकास विशेषकर उर्वरक भंडारण हेतु वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में	5000 पैक्सों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराना था जिसमें कुल 3209 पैक्स को राशि उपलब्ध करायी गई है	64.18 करोड़ रू० विमुक्त
	(घ) वर्ष 2015-17 तक बिहार राज्य भंडार निगम को 3.20 लाख मे० टन क्षमता गोदाम निर्माण हेतु	---	राज्य सरकार नावार्ड से ऋण लेकर निगम को उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
8	**अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण**		
	(क) 2016-17 खरीफ मौसम हेतु 22117	118052 सदस्य	27859.40 लाख रू० वितरित
	(ख) 2016-17 रब्बी मौसम हेतु (22.01.17)	19322 सदस्य	3930.19 लाख रू० वितरित

9	किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण (22.01.17 तक)	978673 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत	137613.01 लाख रू० स्वीकृत
10	**समेकित सहकारी विकास परियोजना**		
	(क) कार्यान्वित किये जा रहे जिले	कैमूर, खगिड़या, शिवहर, वैशाली नालंदा, जहानाबाद, अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ।	65,739.34000 लाख रू० की लागत से
	(ख) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है।	12 जिला लखीसराय, जमुई, अरवल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एवं समस्तीपुर।	
11	**समेकित सहकारी विकास परियोजना का भौतिक उपलब्धि**		
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये गये जिला में)	746	
	(ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	566 का कार्यादेश निर्गत 520 पूर्ण	
	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये गये जिलों में)	74	
	(घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	21 का कार्यादेश निर्गत 17 पूर्ण	
	(ड.) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य	कार्यान्वित जिले में 139399 / कार्यान्वित की जा रही जिले में 12844 (दिसंबर 2016 तक)	
12	समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि **(वर्ष 2016-17)**	5810.18 लाख का व्यवसाय (दिसम्बर 16 तक)	

3. योजनायें एवं उपलब्धियाँ :-

i- समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य के सहकारी क्षेत्रों को ढाँचागत सुविधा उपलब्ध कराने तथा सहकारिता को सबल बनाने के उद्देश्य से यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से चलायी जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में अधिसंरचना निर्माण (गोदाम –सह– कार्यालय), व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना है। साथ ही मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुकुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का भी विकास करना है। इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50–50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिसके प्रमुख राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी हैं। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियो की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण प्राप्त कर पैक्सों को ऋण, हिस्सा पूंजी एवं अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम बनवाये जा रहे हैं। परियोजना के उद्देश्यों में कृषि विकास के लिए पैक्सों/व्यापार मंडलों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के विकास, परिसंस्करण इकाई की स्थापना एवं समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास तथा पणन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधकों, निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन

1. परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रू. में)

क्रम	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूंजी	अनुदान	कुल योग	कुल योग 31.03.2011 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	गोपलगंज	295.62	631.62	292.00	1,219.24	1,153.91
2	मधुबनी	287.65	704.47	212.80	1,204.92	1,179.07
3	गया	313.34	607.68	215.39	1,136.41	1,059.18
4	सीतामढ़ी	299.15	517.70	218.63	1,035.48	1,019.67
5	आरा	304.68	645.95	162.60	1,113.23	1,080.76
6	छपरा	280.60	673.50	205.62	1,159.72	1,068.98
7	सीवान	296.57	683.08	164.57	1,144.22	1,090.67
	कुल योग :	**2,077.61**	**4,464.00**	**1,471.61**	**8,013.22**	**7,652.24**

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण		व्यापार मंडल गोदाम निर्माण	
		कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2011 तक)	कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1	गोपलगंज	130	130	9	9
2	मधुबनी	110	110	12	12
3	गया	118	114	12	12
4	सीतामढ़ी	100	91	12	10
5	आरा	105	104	16	14
6	छपरा	104	99	14	10
7	सीवान	100	98	15	10
	कुल योग :	**767**	**746**	**90**	**74**

(राशि लाख रू. में)

3. व्यवसाय विकास

	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2010-11 (मार्च 11 तक)	वर्ष 2011-12 (दिसम्बर 11 तक)
1	2	3	4
1	कृषि (खाद एवं बीज)	1,303.92	970.39
2	बंधक व्यवसाय	0.90	1.65
3	सीधी खरीद	571.55	151.15
4	उपभोक्ता व्यवसाय	430.04	308.83
5	जमा वृद्धि	1704.53	1,005.38
6	उपभोक्ता ऋण	450.84	179.15
7	अन्य	613.89	362.65
	कुल योग :	**5,075.67**	**2979.20**

4. प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	वर्ष 2010-12 (दिसम्बर 11 तक)
1	2	3
1	प्रबंधक	600
2	अध्यक्ष	521
3	कार्यकारिणी सदस्य	17311
4	सामान्य सदस्य	120522
5	सेल्समैन/गोदामपाल	445
	कुल योग :	**139399**

कार्यनिवत किये जा रहे परियोजना की प्रगति निम्नवत है -

(राशि लाख रू. में)

1. परियोजना लागत, प्राप्त एवं व्यय

क्रम	जिला का नाम	कुल लागत राशि				कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय 31.03.2016 तक	कुल व्यय 2016-17 (दिसम्बर 16 तक)	कुल व्यय
		ऋण/चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी/एल०डी०/यू० डी० के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कैमूर	756.6000	34.83000	307.11000	1,098.60000	1,098.60000	1,028.46000	17.05000	1,045.51000
2	खगड़िया	1,055.25000	68.49000	448.11000	1,571.85000	1,571.85000	1,039.85000	151.85000	1,191.70000
3	शिवहर	698.80000	131.28000	345.27000	1,175.35000	1,175.35000	913.50000	54.86800	968.36800
4	वैशाली	2,664.69000	334.12500	1,217.93500	4,216.75000	4,009.05000	2,551.92000	163.50000	2,715.42000
5	नालंदा	2,070.51200	293.95000	916.75800	3,281.22000	3,051.15000	1,778.46000	266.49000	2,044.95000
6	जहानाबाद	605.07500	415.84500	431.31000	1,452.23000	396.21000	317.48000	44.60800	362.08800
7	अररिया	1,572.55000	826.52500	1,108.27500	3,507.35000	866.66000	601.52000	61.03000	662.55000
8	मोतीहारी	4,157.35000	2,316.92000	2,377.46000	8,851.73000	1,163.12000	1,162.18000	102.95800	1,265.13800
9	औरंगाबाद	5,422.02000	2,857.26000	3,029.26000	11,308.54000	2,790.74000	-	2.50000	2.50000
10	बेगुसराय	2,903.81500	1,486.51800	1,846.23200	6,236.56500	1,488.18700	-	2.45000	2.45000
11	बेतिया	3,925.66750	1,999.28375	2,397.17375	8,322.12500	2,087.77000	-	2.45000	2.45000
12	दरभंगा	4,050.70000	2,025.3500	2,483.13000	8,559.18000	2,067.18000	-	2.48000	2.48000
13	पूर्णिया	2,633.62000	1,363.68500	1,689.54500	5,686.85000	1,407.73000	-	2.48000	2.48000
14	रा.अनु.को.	-	-	471.00000	471,00000	239.20000	162.80000	53.60000	216.40000
कुल योग :		32,516.70950	14.154.06175	19,068.56875	65,739.34000	23,412.79700	9,556.17000	928.31400	10,484.48400

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण				व्यापार मंडल का गोदाम निर्माण	
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ/पूर्ण	गोदाम निर्माण/मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कैमूर	74	74	74/74	2	2	2/2
2	खगड़िया	81	72	72/61	5	2	2/2
3	शिवहर	46	46	46/43	0	0	0/0
4	वैशाली	172	164	164/148	12	7	7/5
5	नालंदा	118	108	108/104	8	5	5/3
6	जहानाबाद	39	13	13/13	6	2	2/2
7	अररिया	116	37	37/36	2	1	1/1
8	मोतीहारी	295	52	52/41	27	2	2/2
9	औरंगाबाद	40	0	0/0	4	0	0/0
10	बेगूसराय	55	0	0/0	4	0	0/0
11	बेतिया	50	0	0/0	6	0	0/0
12	दरभंगा	75	0	0/0	4	0	0/0
13	पूर्णियाँ	50	0	0/0	5	0	0/0
कुल योग :		1211	566	566/520	85	21	21/17

(राशि लाख रू॰ में)

3. व्यवसाय विकास

क्रम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2015-16 (मार्च 16 तक)	वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 16 तक)
1	2	3	4
1	कृषि (खाद एवं बीज)	2,127.62	2,165.11
2	अधिप्राप्ति	21,778.78	870.26
3	उपभोक्ता व्यवसाय	803.18	1,229.83
4	जमा वृद्धि	1,254.81	1,523.18
5	उपभोक्ता ऋण	7.35	21.80
	कुल योग :	25,971.74	5,810.18

4. प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	वर्ष 2015-16 (मार्च 16 तक)	वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 16 तक)
1	2	3	4
1	प्रबंधक	656	820
2	अध्यक्ष	830	1089
3	कार्यकारिणी सदस्य	460	518
4	सामान्य सदस्य	7417	9627
5	सेल्समैन/अन्य	790	790
	कुल योग :	10153	12844

अन्य उपलब्धियाँ :– 27 समितियों में गैसीफायर आधारित चावल मिल की स्थापना, 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना, 5 समितियों में ग्रामीण विधुतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना, 174 पैक्सों में पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मति, 10 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण, 30 समितियों में कम्पोजिट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, 30 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना, 228 समितियों में वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना, 100 समितियों में सिंचाई हेतु बोर–बेल की स्थापना, 203 समितियों को मत्स्य पालन हेतु आर्थिक सहायता, 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता, 42 बुनकर समितियों को आर्थिक सहायता, 5 दाल मिल की स्थापना, 54 समितियों में मुर्गी पालन ईकाई की स्थापना, 8 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता, 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता, झंझारपुर व्यापार मंडल में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, जमालहाता बुनकर सहयोग समिति, सीवान में गैसीफायर की स्थापना तथा आरा व्यापार मंडल, आरा में एल॰पी॰जी॰ गैस गोदाम की स्थापना।

आच्छादित किये जाने वाले जिलों के संबंध में प्रतिवेदन :–

01. सलाहकार संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का मसौदा प्रतिवेदन समर्पित जिला – लखीसराय, कटिहार, सहरसा जमुई, अरवल एवं सुपौल।
02. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयारी की प्रक्रिया अंतर्गत जिले– पटना, नवादा, बांका, भागलपुर, मुजफ्फपुर, एवं समस्तीपुर।
03. राज्य के शेष 4 जिलों यथा मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा, एवं शेखपुरा को भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत आच्छादित करने की योजना है।

ii- फसल बीमा योजना :–

प्राकृतिक आपदाओं यथा – बाढ़, सुखाड़, तुषारापात, तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला इत्यादि कारणों से फसल की क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली पफसल लगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में निम्न फसल बीमा योजनायें लागू हैं :–

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) – यह योजना वर्ष 2000 से राज्य में लागू है। रब्बी 2007–08 मौसम के पहले यह योजना राज्य के सभी 38 (अड़तीस) जिलों में लागू किया जाता था। खरीफ–2012, रब्बी 2012–13, खरीफ–2013, रब्बी 2013–14 एवं खरीफ–2014 में यह योजना स्थगित थी। पुनः रब्बी 2014–15, खरीफ 2015 तथा रब्बी 2015–16 में मौसमों में यह योजना राज्य के सभी 38 (अड़तीस) जिलों में लागू की गयी है। इस योजना हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी ए॰आई॰सी॰ बीमा कंपनी है। इस योजना में क्षतिपूर्ति राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाता है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के प्रीमियम राशि में भी 10% का अनुदान केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाता है। खरीफ 2016 से यह योजना बंद कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति निम्नवत है :–

क्रमांक	मौसम का नाम	बीमित कृषक	बीमित राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक	क्षतिपूर्त्ति राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	रब्बी 2008–09	432258	1024.74	157455	189.35
2	खरीफ–2009	710557	1664.04	379864	466.58
3	रब्बी 2009–10	357287	1049.68	156659	258.31
4	खरीफ–2010	884201	2053.37	457534	591.46
5	रब्बी 2010–11	9501	30.58	401	0.14
6	खरीफ–2011	332669	836.34	2609	1.27
7	रब्बी 2011–12	4689	14.47	270	1.46
8	रब्बी 2014–15	1579229	5365.90	882731	1128.82
9	खरीफ 2015	16,55,219	5834.51	717151	644.65
10	रब्बी 2014–15	14,36,393	5194.36	अप्राप्त।	अप्राप्त।

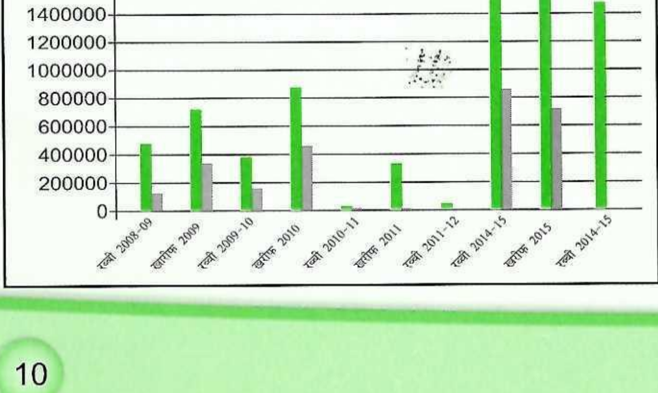

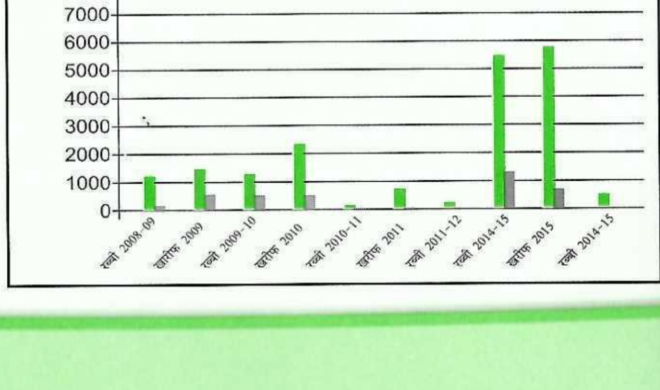

(ख) मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) – यह योजना रब्बी 2007–08 मौसम से राज्य में लागू है। खरीफ–2012, खरीफ–2013 एवं खरीफ–2014 मौसम में राज्य के 31 जिले इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये गये हैं। रब्बी 2012–13 एवं रब्बी 2013–14 मौसम में राज्य के सभी 38 जिले इस योजना से आच्छादित हैं। इस योजना के तहत तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से फसल की क्षति होने पर क्षति के आकलन का प्रावधान है। खरीफ 2014 मौसम के बाद यह योजना राज्य में स्थगित है।

योजना की मुख्य विशेषतायें :–

- इस योजना में राज्य एवं केन्द्र सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है।
- क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को ही वहन करना है।
- इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी पूर्व में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना थी। परन्तु रब्बी 2009–10 मौसम से उक्त कंपनी के अतिरिक्त आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰, लोम्बार्ड को भी बीमा कार्य हेतु अधिकृत किया गया एवं रब्बी 2011–12 मौसम से उपर्युक्त दोनों बीमा कंपनी के अतिरिक्त इफको टोकियो, एच॰डी॰एफ॰सी॰इरगो तथा चोला मंडलम बीमा कंपनियों को भी बीमा हेतु प्राधिकृत किया गया है। खरीफ 2013 एवं रब्बी 2013–14 मौसम में आठ तथा खरीफ 2014 मौसम में सात बीमा कंपनियाँ प्राधिकृत हैं।

मौसम आधारित फसल बीमा की प्रगति निम्नवत है :–

क्रमांक	मौसम का नाम	बीमित कृषक	बीमित राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक	क्षतिपूर्ति राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	रब्बी 2008–09	137544	320.52	96940	21.64
2	खरीफ–2009	396684	937.00	309908	51.96
3	रब्बी 2009–10	468514	913.08	329405	67.99
4	खरीफ–2010	408823	513.62	408559	88.99
5	रब्बी 2010–11	1264084	1902.09	983447	92.22
6	खरीफ–2011	450945	1068.75	269718	36.60
7	रब्बी 2011–12	1274347	3469.20	877541	96.56
8	खरीफ–2012	1219689	2912.48	922740	155.52
9	रब्बी 2012–13	1637202	4220.24	1584740	334.52
10	खरीफ–2013	1433798	3324.98	1413827	550.92
11	रब्बी 2013–14	2153117	5018.99	2072490	156.89
12	खरीफ 2014	1846845	3826.65	1582375	319.75

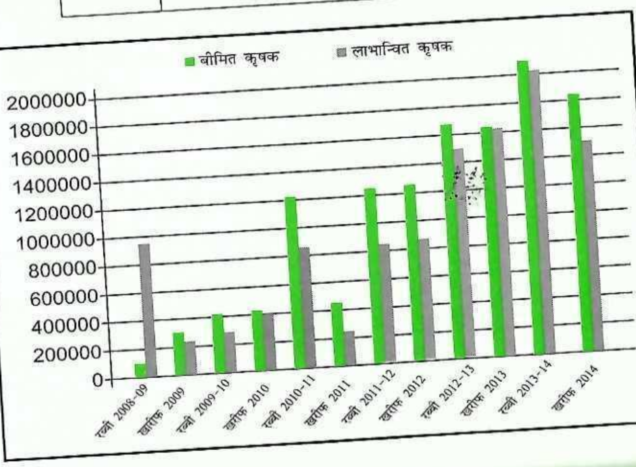

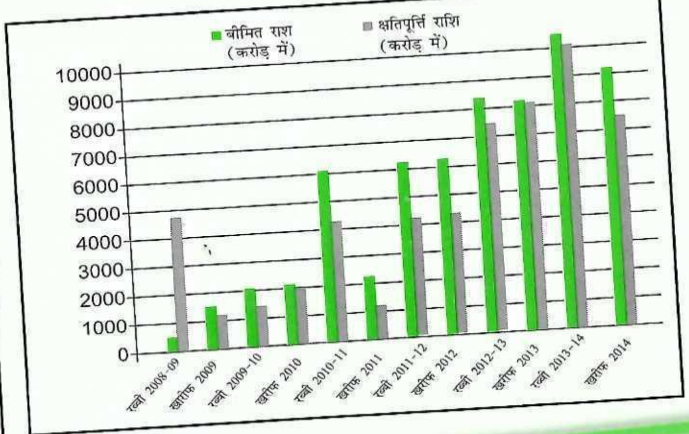

(ग) संशोधित (मोडिफायड) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) – यह योजना रब्बी 2010–11 मौसम में राज्य के तीन जिले मुंगेर, जमुई एवं शिवहर में लागू किया गया था। अब यह योजना खरीफ 2012 मौसम से राज्य से 7 जिले यथा दरभंगा, मोतिहारी, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी में लागू किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी पूर्व में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि०, पटना थी। खरीफ 2012 मौसम से उक्त बीमा कंपनी के अतिरिक्त अन्य बीमा कंपनियाँ भी प्राधिकृत की जाती हैं। वित्तीय भार के मामले में राज्य सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है। क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी को ही वहन करना है। प्रीमियम अनुदान की राशि में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 50:50 के अनुपात में है। यह योजना रब्बी 2012–13 एवं 2013–14 मौसमों में लागू नहीं किया गया है। खरीफ 2013 एवं खरीफ 2014 मौसम में भी यह योजना राज्य के उक्त सात जिलों में संचालित किया गया था। खरीफ 2014 के बाद यह योजना राज्य में स्थगित है।

क्रमांक	मौसम का नाम	बीमित कृषक	बीमित राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक	क्षतिपूर्ति राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	रब्बी 2010–11	37123	100.30	5133	3.22
2	खरीफ–2011	40127	97.29	2036	4.41
3	रब्बी 2011–12	40360	107.98	2986	1.72
4	खरीफ–2012	344729	852.15	51019	47.10
5	खरीफ–2013	431131	984.14	158849	134.14
6	खरीफ 2014	447997	492.42	30010	9.99

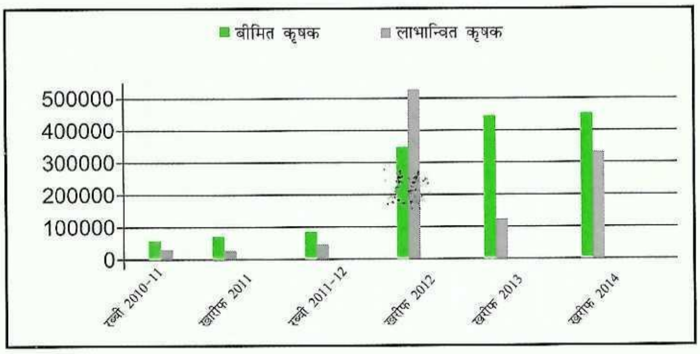

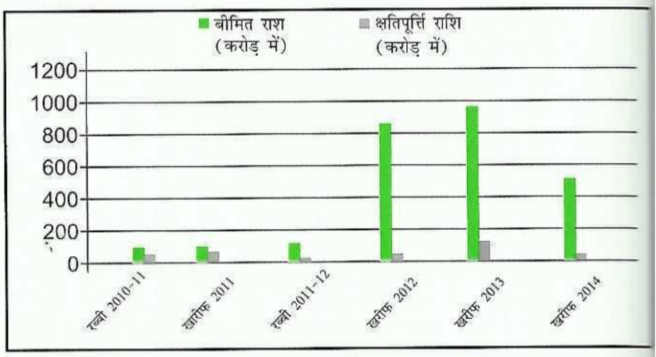

(घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – खरीफ 2016 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को भारत सरकार द्वारा बंद कर एक नई योजना ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' लागू की गई है। बिहार राज्य में यह योजना खरीफ 2016 एवं रब्बी 2016–17 मौसमों में सभी 38 (अड़तीस) जिलों में लागू की गई है।

इस योजना में खाद्यान्य, दलहन एवं तेलहन फसलों के लिए खरीफ मौसम में किसानों का प्रीमियम केवल 2% एवं रब्बी मौसम में केवल 1.5% है। किसानों के प्रीमियम के बाद शेष प्रीमियम की राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाता है।

खरीफ 2016 मौसम में इस योजना में कुल 14,83,790 किसानों का बीमा किया गया है तथा कुल बीमित राशि 6526.13 करोड़ रूपया है। राज्य सरकार की प्रीमियम मद में देयता लगभग 496 करोड़ रूपया है। क्षतिपूर्ति राशि की गणना अभीतक नहीं की गई है।

रब्बी 2016–17 मौसम में यह योजना अभी प्रक्रियाधीन है।

iii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 29.05.2007 की सम्पन्न बैठक के निर्णय के आलोक में इस राज्य में भी किया गया है। इस योजना के तहत् सहकारिता प्रक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि उत्पाद के संचयन में अभिवृद्धि के निमित गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। गोदाम निर्माण के साथ–साथ ग्रामीण विद्युतीकरण में पैक्सों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं पैक्सों को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पैक्सों/व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना से राज्य के खाद्यान, उर्वरक एवं अन्य कृषि उत्पाद हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा का स्त्रोत उपलब्ध होगा एवं पैक्सों को उद्योग के रूप में विकसित होने का अवसर प्राप्त होगा। इससे राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके कृषि उत्पाद के वैज्ञानिक भंडारण का लाभ मिलेगा।

इस योजना की अबतक की उपलब्धि निम्नवत् है :–

- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 1929.30 लाख एवं 2008–09 में 374.00 लाख रू॰ बिहार राज्य भंडार निगम को उपलब्ध कराते हुए 40 हजार मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया गया है तथा 10000 मे॰टन का अर्द्ध निर्मित गोदाम को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2012–13 में 326.00 लाख रू॰ उपलब्ध करा दिया गया है।
- वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत 931 पैक्स/व्यापारमंडल में गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था। जिससे कुल 3.69 लाख मे॰ टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाना था। इसके विरूद्ध वर्ष 2015–16 में कुल 495 गोदामों का निर्माण पुरा किया जा चुका है।
- वर्ष 2016–17 में राज्य योजनार्न्तगत 419 पैक्स/व्यापारमंडल में गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। जिससे कुल 1.00 लाख मे॰ टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाना है। इसके विरूद्ध वर्ष 2016–17 में (02.02.2017) तक कुल 209 गोदामों (बैंक लॉग सहित) का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष निर्माणधीन है।

कृषि रोड मैप

- वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 50 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में विधुत आधारित के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु चयन किया गया है। शेष प्रक्रियाधीन है।
- पैक्सों के समान्य व्यवसाय विकास विशेष कर उर्वरक भंडार हेतु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कुल 3209 पैक्सों को प्रति पैक्स 2.00 लाख की दर से कुल 64.18 करोड़ रू॰ विमुक्त किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2012–17 तक बिहार राज्य भंडार निगम के लिए 10.00 लाख मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 13 स्थलों पर 3.20 लाख मे॰टन गोदाम क्षमता अभिवृद्धि का निर्माण कार्य प्रारंभ है।

IV- अधिप्राप्ति

खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अंतर्गत धान आधिप्राप्ति कार्यक्रम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य के किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

1. इस वर्ष सहकारिता विभाग द्वारा ही संम्पूर्ण राज्य में पैक्स/व्यापार मंडलो द्वारा अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है
2. इस वर्ष लक्ष्य का निर्धारण सीमा नहीं दिया गया है, अपितु 30.00 लाख मे० टन० औपबंधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि राज्य के कृषकों को अधिक से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके।
3. इस वर्ष किसानों को Online निबंधन करने के उपरान्त ही उनसे अधिप्राप्ति कार्य किया जाना है। जिसके लिए किसानों को अपनी सुविधानुसार कहीं से भी सुगमता पूर्वक विभागीय बेवसाइट पर निबंधन कराया जा सकता है। इस वर्ष दूसरे के जमीन पर खेती करने वाले के लिए भी Online निबंधन कराने की अलग से व्यवस्था की गयी है। जिसके विरूद्ध अबतक कुल 3,38,718 आवेदनों की स्वीकृत किया गया है।

   राज्य में इस वर्ष फसल की अच्छी पैदावार होने फलस्वरूप वैसे किसान जो अपने जमीन पर खेती करते है उनके लिए 150 क्विंटल प्रति किसान धान अधिप्राप्ति का सीमा निर्धारित किया गया है तथा जो किसान बटाईदारी खेती करते है उसके लिए 50 क्विंटल प्रति किसान धान अधिप्राप्ति करने का सीमा निर्धारित किया गया है।
4. इस वर्ष सहकारिता विभाग द्वारा NIC के माध्यम से Online Procurement management system की व्यवस्था स्थापित कर आधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों से अधिप्राप्ति किये गये मात्रा/किसानों को भुगतान एवं बिहार राज्य खाद्य निगम को CMR उपलब्धता आदि से सबंधित सभी सूचना आधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु सभी के लिए Public domin हेतु उपलब्ध है।
5. वर्ष 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य 27.00 लाख मे० टन० के विरूद्ध 18.23 लाख मे० टन० धान आधिप्राप्ति हुआ था तथा CMR के रूप में 11.92 लाख बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया था। तथा वर्ष 2016–17 में दिनांक 06.03.2017 तक 10.20 लाख मे० टन० धान अधिप्राप्ति किया गया है।

सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष-वार धान अधिप्राप्ति की प्रगति निम्नवत् है :-

(मात्रा लाख मे० टन में)

वर्ष	धान	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2014–15	24.00	13.62 (धान) 3.61 (चावल)
2015–16	27.00	18.23 (धान) 11.92 (चावल)
2016–17 (06.03.2017 तक)	30.00 (सांकेतिक)	10.20 लाख मे०टन

V. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2016–17 के लिए राज्य योजना अन्तर्गत 51505.19 लाख रू॰ (पुनरीक्षित) एवं केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 9124.75 लाख रू॰ कुल 60629.94 लाख रू॰ का उपबंध स्वीकृत था जिसके विरूद्ध 31 जनवरी 2017 तक राज्य योजनान्तर्गत 35439.13 लाख रू॰ का व्यय किया गया।

वर्ष 2016–17 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :–

(31.01.2017 तक)
(राशि लाख रू॰ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
		राज्य योजना पुनरीक्षित	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रिमियम)	1000.00		1000.00	1000.00
2	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्त्ति)	31870.31		31870.31	24938.00
3	पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)	3.00		3.00	
4	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	2.00		2.00	
5	समेकित सहकारी विकास परियोजना	503.13	9124.75	9627.88	8958.93
6	विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	100.00		100.00	
7	विभागीय कार्यों के लिए प्रचार–प्रसार	50.00		50.00	
8	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति एवं बनाने हेतु	300.00		300.00	
9	गोदाम निर्माण एवं मरम्मति हेतु सहकारी समितियों	4338.00		4338.00	594.00
10	अल्पकालीन साख सहकारी संरचना के सुदृढ़िकरण हेतु अनुदान	1.00		1.00	
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1835.00		1835.00	
12	बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	1300.75		1300.75	
13	पैक्सों को मार्जिन मनी (ऋण)	1.00		1.00	
14	पैक्सों को मार्जिन मनी (अनुदान)	1.00		1.00	
15	सहकारिता विभाग का आधुनिकीकरण	200.00		200.00	
16	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्य	10000.00		10000.00	
	कुल :– (राज्य योजना + प्रायोगिक योजना)	**51505.19**	**9124.75**	**60629.94**	**35490.93**

4. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की लगभग 80% अबादी कृषि पर ही आधारित है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। सहकारिता कृषिजन आवश्यकताओं का प्राण है। कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने कृषि इनपुटस की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से की जा रही है तथा सहकारिता विभाग इसमे सतत् प्रत्यनशील है।

i. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने के निमित सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को प्रयाप्त मात्रा में तथा ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 02.01.2017 तक 978673 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 137613.01 लाख रू॰ स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को मार्च 2017 तक Debit-cum-Rupay card मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया गया है।

विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :-

(रू॰ लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत %
2012–13	226941.00	32820.42	14.00%
2013–14	80000.00	30761.66	38.45%
2014–15	100000.00	38088.51	38.09%
2015–16	100000.00	45562.64	45.62%
2016–17 (दिसम्बर तक)	100000.00	28065.69	28.25%

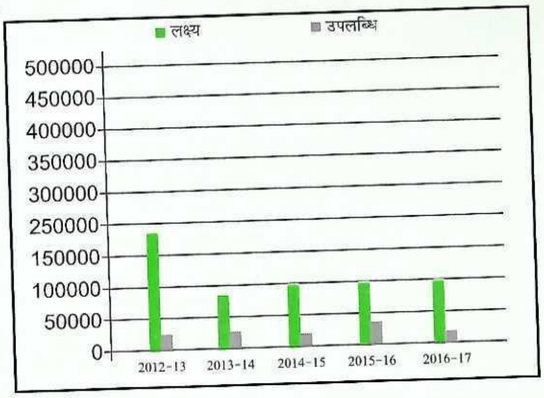

विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण मांग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है :-

(रू॰ लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	प्रतिशत
2012–13	60159.35	23743.35	39.47%
2013–14	68995.41	22421.58	32.50%
2014–15	70087.73	24328.53	34.71%
2015–16	72531.53	33285.83	45.89%
2016–17 (दिसम्बर तक)	73961.76	21612.91	29.22%

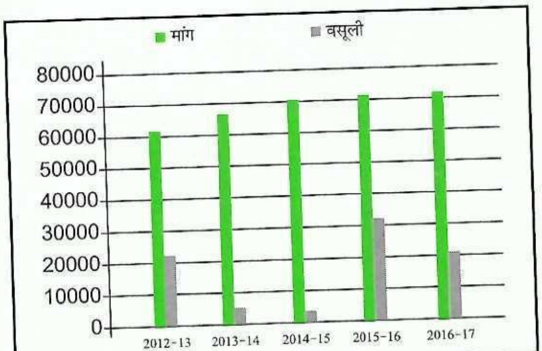

i- राज्य सहकारी बैंक लि॰

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 16 शाखायें कार्यरत हैं जो सभी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण ऋण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके के लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखओ मे कोर बैंकिंग लागू है। वर्त्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰सं॰	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	2	3	4	5	6
1	हिस्सा पूंजी	2083.40	2083.40	1938.09	2673.86
2	स्टेच्यूटरी रिजर्व	8190.31	9629.38	9629.38	11852.47
3	अन्य रिजर्व	17357.44	19970.60	19769.52	23841.91
4	ओन्ड फण्ड	51924.29	55224.56	59493.37	59356.70
5	जमा	163132.21	141833.06	184643.57	223650.50
6	उधार	59718.34	76713.49	87426.26	82499.34
7	कार्यशील पूंजी	292169.14	299623.79	359380.77	408826.73
8	निवेश	123301.37	124365.29	158792.04	147776.68
9	वकाया ऋण	145869.66	144676.05	161439.67	205512.07
10	अन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफिट	4111.62	2412.04	6351.69	3596.58
11	ग्रौस एन॰पी॰ए॰	16743.70	17918.29	19732.09	21248.99

ii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन शत् प्रतिशत कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 22 (बाईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 18 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने श्रोत से भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम थे परन्तु 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उन चारों केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के 6406.00 लाख रू॰ वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु सक्षम बनाया गया फलस्वरूप आज राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों मे केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रू॰ लाख में)

क्र॰सं॰	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	हिस्सा पूंजी	जमा राशि	सुरक्षित निधि	ऋण एवं अग्रिम	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7
1	नालंदा	508.56	18435.00	430.03	8462.28	55.80
2	पाटलीपुत्रा	634.28	31464.50	2473.43	11278.20	80.28
3	मगध (गया)	414.31	4223.45	764.89	8936.34	203.63
4	नवादा	862.60	4815.15	799.02	4674.83	(–) 85.87
5	आरा	473.13	32270.00	1250.65	12450.80	138.43
6	रोहतास	2243.46	11078.00	1537.01	9797.31	(–) 89.20
7	भागलपुर	444.34	15603.80	1847.53	8878.58	48.88
8	मुंगेर	3306.34	19356.50	224.97	17123.50	44.27
9	बेगूसराय	765.00	10404.80	223.00	7243.31	173.41
10	पूर्णियाँ	2135.59	10141.60	2314.51	12841.80	31.53
11	मुजफ्फरपुर	518.55	5196.74	346.02	4935.94	94.35
12	सीतामढ़ी	342.12	11068.70	671.04	4383.94	124.89
13	मधुबनी	2120.68	7991.37	253.36	10664.00	(–) 109.87
14	बेतिया	415.26	10260.50	990.52	7889.69	13.26
15	मोतिहारी	1565.43	8876.08	1753.69	11296.80	10.32
16	सिवान	569.59	15425.80	738.58	4506.78	24.48
17	गोपालगंज	603.81	27934.10	485.82	9819.79	47.88
18	औरंगाबाद	790.57	10392.00	2818.86	10805.00	937.35
19	खगड़िया	770.98	3270.94	267.69	8588.22	31.65
20	कटिहार	2137.37	4483.62	561.51	5441.92	(–)464.53
21	वैशाली	810.43	5333.15	43.54	2057.07	3.79
22	समस्तीपुर	637.78	7842.61	707.64	8871.38	1195.09

iii- प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत प्राथमिक स्तर पर राज्य के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। पैक्सों में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाता रहा है जिसके अन्तर्गत पैक्सों में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े/अतिपिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की अधिकतम सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैक्सों के प्रबंधन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था है। पैक्सों को ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु संस्थागत सुधार भी किये गये हैं। फलस्वरूप पैक्सों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पैक्सों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण के साथ–साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवायें आदि भी प्रदान किया जा रहा है। पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबुती प्रदान करने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति भी प्रदान कराया गया है। पैक्सों के माध्यम से ही धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति की जा रही है जिससे कृषकों को उनके उत्पाद का सरकार द्वारा घोषित उचित समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो ही रहा है साथ ही साथ पैक्सों को भी कृषकों के हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं यथा समेकित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। लघु उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत चावल मिल गैसीफायर के साथ चावल मिल भी स्थापित किये जा रहे हैं। पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विशेषकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु कृषि रोड मैप अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ पैक्स जमावृद्धि व्यवसाय में भी संलग्न है तथा अपने स्त्रोत से कृषकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया कराने में सक्षम हो रहे हैं। पैक्सों में व्यवसाय प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य **''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना''** लागू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल के दो पैक्सों को निर्धारित मापदंड को पूरा करने पर उसे पुरस्कृत करने की योजना है।

विगत 5 वर्षों का पैक्स का वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रू० लाख में)

वर्ष	पैक्स की संख्या	सदस्य संख्या (हजार में)	हिस्सा पूंजी	सुरक्षित निधि	जमा राशि	कार्यशील पूंजी
1	2	3	4	4	6	7
2011–12	8463	9972	9601.42	302.18	17431.35	50816.28
2012–13	8463	10010	9605.62	305.25	17842.58	51132.18
2013–14	8463	10563	9606.17	306.71	18272.78	51867.29
2014–15	8463	10607	9610.57	311.11	18272.78	51911.69
2015–16	8463	11667	9621.47	311.11	18272.78	52011.69

II- प्रो॰ बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरूद्वार योजना

राज्य में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने एवं संस्थागत सुधार लाने हेतु बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार द्वारा तैयार पुनरूद्वार पैकेज के अन्तर्गत निम्नांकित कार्रवाई की गई है :–

- पुनरूद्वार पैकेज अन्तर्गत अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में पैक्सों हेतु 442.16 करोड़ रू॰, केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु 360.79 करोड़ रू॰ एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु 40.62 करोड़ रू॰ कुल 843.57 करोड़ रू॰ का पैकेज स्वीकृत।
- 843.57 करोड़ रू॰ का स्वीकृत पैकेज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी पैक्सों हेतु 27.46 करोड़ रू॰, केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु 18.24 करोड़ रू॰ एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु 0.68 करोड़ रू॰ कुल 46.38 करोड़ रू॰ निर्धारित है। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पैक्सों हेतु 27.45 करोड़ रू॰ एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक 15.48 करोड़ रू॰ कुल 42.43 करोड़ रू॰ विमुक्त कर उपलब्ध करा दिया गया है।
- अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं के संदर्भ में बिहार सहकारी अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन कर बिहार सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2008 लागू।
- संशोधित अधिनियम अन्तर्गत इन संस्थाओं में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी को कुल पूंजी के 25 प्रतिशत के अन्तर्गत सीमित करते हुए शेष हिस्सा पूंजी लगभग 74.88 करोड़ रू॰ को अनुदान मद मे परिवर्त्तन।
- अल्पकालीन साख सहकारी संस्थाओं में समान लेखा प्रणाली / प्रबंधकीय सूचना प्रणाली लागू।
- पैक्सों द्वारा प्रबंधको की नियुक्ति।
- नियुक्त प्रबंधक एवं पैक्स के प्रबंधकारिणी सदस्य का क्रमिक रूप से जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।
- पैक्सों द्वारा व्यवसाय विकास योजना प्रारम्भ।

5 सुशासन के कार्यक्रम

सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :–

1. <u>पैक्सों का सुदृढीकरण</u> :–

पैक्सों को सुदृढ़ करने हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :–

(क) <u>भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि</u> :–

समेकित सहकारी विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पैक्सों में भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत 1219 पैक्सों में 100 मे॰टन क्षमता के गोदाम बनवाये गये। राज्य योजना के तहत् कृषि रोड मैप अन्तर्गत 2016–17 में 57 पैक्सो / व्यापारमंडलों में 200 मे॰टन एवं 500 मे॰ टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार, जिसके अंतर्गत बैकलॉग सहित कुल 209 पैक्सों / व्यापारमंडलों का कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि 673 में निर्माणाधीन है। फलस्वरूप 7.764 करोड रूपयें जिला की उपलब्ध एवं 247 पैक्स हेतु 31.86लाख रूप्ये जिला को उपलब्ध कारने हेतु प्रक्रियाधीन है। फलस्वरूप निर्माणाधीन सहित 2.188 लाख में. टन क्षमता का निर्माण हो सकेगा।

(ख) <u>पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना</u> :–

वर्ष 2008–09 में 40 पैक्सों में एवं वर्ष 2010–11 में 58 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कुल 1284.00 लाख रू॰ उपलब्ध कराया गया है। इन 98 पैक्सों में से 59 पैक्सों में कार्य प्रारम्भ है जिसमें से 42 में पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना के तहत् कृषि रोड मैप अन्तर्गत 129 पैक्सों एवं 20 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल

स्थापित करने हेतु चयनित कर राशि स्वीकृत करते हुए क्रमिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना के तहत् कृषि रोड मैप अन्तर्गत 60 पैक्सों एवं 09 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने हेतु 23.73 करोड राशि स्वीकृत करते हुए क्रमिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2015–16 में 79 चावल मिल–सह–गैसीफायर पूर्ण हो चुके है जिसमें 29.24 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है। वर्ष 2016–17 में 50 चावल मिल–सह–गैसीफायर पूर्ण हो चुके है जबकि 120 निर्माणाधीन है।

(ग) पैक्सों को जनवितरण प्रणाली से जोडना :–

पैक्सों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् पैक्सों को जनवितरण प्रणाली का कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त कराया गया है। वितीय वर्ष 2015–16 में जन वितरण कार्य हेतु प्राप्त पैक्सों की कुल संख्या 4624 है।

(घ) पैक्सों को समान व्यवसाय जिसमें विशेष कर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण शामिल है, हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध कराना :– कृषि उत्पादन के लक्ष्यों के मद्देनजर कृषि आदानों विशेष कर उर्वरक की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित हो ताकि Peak Season में उर्वरक का संकट उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए पैक्सों को समान्य व्यवसाय विकास विशेष कर उर्वरक भंडार हेतु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कुल 3209 पैक्सो को प्रति पैक्स 2.00 लाख रूपये की दर से कुल 64.18 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

2. व्यापार मंडलों का सुदृढ़ीकरण :–

(क) प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन किया गया है तथा पुनर्गठन के पश्चात् सभी व्यापार मंडलों में निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल करा दिया गया है।

(ख) समेकित सहकारी विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम निर्माण कराया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् कृषि रोड मैप अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 50 पैक्सों / व्यापारमंडलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित करने के क्रम में 50 पूर्ण हो चुके है जबकि 120 निर्माणाधीन है।

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन :–

राज्य में मत्स्यपालन विकास के सम्भाव्यता के उद्देश्य से एक प्रखंड में मात्र एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन के निर्णय के तहत् एक प्रखंड में पूर्व से सहकारिता अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम, 1996 के तहत् गठित सभी मत्स्यजीवी सहयोग समिति को पुनर्गठित कर प्रखंड स्तर पर मात्र एक प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत् गठित किया गया है। 379 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है। इसका गठन का उद्देश्य विभिन्न मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के बीच निरंतर चलने वाले जलकर विवाद के जड़ को समुल नष्ट कर प्रखंड के सभी मत्स्यपालकों को एक छतरी के नीचे लाकर उनका आर्थिक विकास करना है। पुनर्गठित सभी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों में चुनाव प्राधिकार द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल करा दिया गया है।

3. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2011 का अधिनियमन :–

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत् निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, इसके लिए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

4. सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी पंचायत की भाँति सुनिश्चित करने हेतु क्रमांक–5, बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में कतिपय संशोधन वर्ष 2013 में किया गया।

5. बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2013 का अधिनियमन :–

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के तहत् निबंधित सभी प्रकार की स्वावलम्बी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा हो, इसके लिए बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

6. <u>बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के प्रावधानान्तर्गत विभिन्न प्रकार के वादों का निष्पादन</u> :–

(i) बिहार सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1935 के तहत राज्य में सहकारिता विभाग के अधीन समितियों एवं अन्य के बीच विवादों के निस्तारण हेतु विभागीय स्तर पर शीर्ष न्यायालय के रूप में न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार का न्यायालय कार्यरत है। इसके अधीन मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार के न्यायालय से लेकर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ तक के (अंचल स्तर) न्यायालय कार्यरत है। न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना सहकारिता विभाग का "शीर्ष न्यायालय" है जहाँ बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 एवं अन्य सहकारी अधिनियमों एवं नियमावलियों के तहत सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवादों की सुनवाई की जाती है। प्रावधानान्तर्गत विभिन्न प्रकार के वादों की सुनवाई सक्षम प्राधिकार के स्तर से की जाती है। सम्प्रति सुनवाई हेतु एक अलग न्यायिक कक्ष की भी व्यवस्था की जा रही है तथा न्यायालय कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ii) न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार एवं मुख्यालय स्तर पर के अपर निबंधक तथा अन्य न्यायालयों के लिए 2 सुनवाई कक्षों का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक का निर्माण कार्य पुरा हो चुका है एवं उसमें 01 जुलाई 2014 से न्यायालय कार्य किया जा रहा है। दूसरा कक्ष प्रावधानित था एवं इसके निर्माण की दिशा में प्रबंधन स्तर से कार्य किया जा रहा है।

(iii) इसके अतिरिक्त न्यायालय में रिकार्ड कीपिंग के कार्य हेतु रिकार्ड रूम का भी निर्माण चल रहा है, जिसमें न्यायालय से संबंधित रिकार्ड कीपिंग की जा सकें। तत्कालीक तौर पर कमरा संख्या–253 का उतर–पश्चिम कक्ष रिकार्ड रूम के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(iv) न्यायालय द्वारा वादों की त्वरित सुनवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है। जिसमें तिथि संबंधी सुचनाएँ, संबंधित व्यक्तियों एवं विद्धान अधिवक्तओं को उनके उपलब्ध मोबाईल नं॰ पर SMS के माध्यम से सूचित की जाती है। इस क्रम में न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार पूरे बिहार में न्यायालय/अर्द्ध न्यायालयों में प्रथम न्यायालय है, जहाँ से विद्धान अधिवक्ताओं को SMS के माध्यम से सुनवाई हेतु सूचित करने की प्रक्रिया नवम्बर 2013 से आरंभ की गई है।

(v) इस समय निबंधक, सहयोग समितियाँ के न्यायालय के समक्ष कुल 372 वाद चालू वाद के रूप में है एवं अद्यतन तिथि तक कुल 105 वादो की फाईलिंग हुई है। जबकि वर्तमान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा इस अवधि में 82 वादों का निस्तार किया गया है।

(vi) न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा न्यायिक गतिविधियों को सुगम और सहज बनाने के लिए विभिन्न अधिनस्थ न्यायालयों को भी न्यायिक गतिविधियों से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है ताकि विवादों का समाधान यथाशीघ्र हो सके एवं विवादों को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।

7. <u>केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण :–</u> पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के पुनर्गठन के साथ–साथ इन समितियों की केन्द्रीय एवं वित्त प्रदायी संस्था जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके तहत् राज्य के 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना से 6406.00 लाख रू॰ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया गया था। फलस्वरूप राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। वैसे जिला जहाँ पूर्व से केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित नहीं है अथवा परिसमापित हैं, वैसे जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक की गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसमापनाधीन है उन जिलों में राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

8. <u>मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण</u> :–

ई–गवर्नेन्स के तहत् सहकारिता विभाग के सरकार एवं निदेशालय के कमरों को आधुनिक रूप प्रदान किया गया है साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को आधुनिक रूप प्रदान करने के निमित क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु वाहन, फर्निचर, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था की जा रही है।

9. धान / गेहूँ अधिप्राप्ति :–

सहकारिता विभाग राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम सरकारी समर्थन मूल्य सुलभ कराने हेतु पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार एक ओर जहाँ कृषकों को उनके उत्पाद का सरकारी समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है वहीं दूसरी ओर पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रहा है।

प्रदेश के कृषकों को खुशहाल बनाने में पैक्सों द्वारा संचालित यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

6. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 एवं बिहा सहकारी सोसाईटी (संशोधित) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारीयों द्वारा सहकारी समितियों व वैधानिक अंकेक्षण जाँच अंकेक्षण,एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते है। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उदेश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन / सत्यापन / त्रुटियों / अनियमितताओं / दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारत्मक उपायों क परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के पदबल काफी कमी होने के कारण चार्टर एकाउन्टेन्टस का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा स्वीकृत है, जिन्हे अंकेक्षण मैनूअल के प्रावधानों के अन्तर्ग समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

विगत 4 वर्षो में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत है।

वर्ष	अंकेक्षण सहकारी समितियों का संख्या			
	पैक्स	व्यापार मंडल	अन्य	कुल
2013–14 (मार्च तक)	2373	29	205	2607
2014–15 (मार्च तक)	7118	109	69	7296
2015–16 (मार्च तक)	1973	32	72	2077
2016–17(दिसम्बर 2016 तक)	1716	47	72	1835

सरकार के निदेशानुसार विशेष अंकेक्षण अभियान चलाकर दिनांक 31.03.2015 तक का अंकेक्षित पैक्सों एवं व्याप मंडलों का माह दिसम्बर 16 तक अंकेक्षण कराया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2015 तक का अंकेक्षण में काफी प्रगति हुई है।

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा–33 (यथा संशोधित 2013) के प्रावधानों के आलोक में सहक समिति के लेखाओं का वैधानिक अंकेक्षण समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त, विभाग के सूचीवद्ध सनदी लेखाकार के पैन या निबंधक, सहयोग समितियाँ, के कार्यालय के अंकेक्षकों के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षकों के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षक शुल्क का निर्धारण एवं भुगतान संबंध में दिशा निर्देश भी निर्गत है। इस परिपत्रानुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक कारो अथवा कार्यशील पूंजी के अधार पर निर्धारण करने की व्यवस्था की गयी है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तीन माह अन्दर समिति का अंतिम लेखा विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अंतिम लेखा विवर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने के स्थिति में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा उसे सशुल्क तैयार करने का प्रावधान है। यदि समिति जान–बुझ कर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराते है तो अधिनियम के त कानुनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम 1996 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, को उपलब्ध कराना है। जिसमें अंकेक्षित लेखा शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना दोनो की सजा हो सकती है।

7. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i) बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰ सबसे पुरानी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका गठन वर्ष 1917–18 में हुआ है, इसका निबंधन संख्या 210/1917–18 है। इस संघ का अपना भवन बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। यह राज्य में निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है। राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संस्था के सदस्य हैं। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं/परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का श्रोत बनाया गया है। स्टाफ की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाता है। वर्त्तमान मे इस संघ का दैनिक कार्य फेडरेशन हॉल एवं गेस्ट रूम के आरक्षण से प्राप्त आय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

विगत तीन वर्षो में संघ का उपलब्धि निम्नवत् है :–

क्रमांक	क्रियाकलाप	उपलब्धि		
		2014–15	2015–16	2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)
1	2	4	5	6
1	फेडरेशन लेवी की वसूली	123692 रू॰	1,11,464.00	6,56,910.00
2	आरक्षण से आय	38800 रू॰	10150.00	3,150.00
3	मकान किराया से आय	6,34,360.00	4,74,150.00	3,30,000.00
4	अन्य आय	26,910.00	20,600.00	2,25,000.00
5	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अनुदान	2,00,000.00	2,98,749.00	3,25,000.00

ii) बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1965 में किया गया है। जिसका निबंधन संख्या– 2 पैट/1965 है। इस संस्था का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं उपभोक्ता व्यवसाय में संलग्न व्यापार मंडलों को थोक दर पर उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करता रहा है। संघ का कुल हिस्सा पूंजी 244.53 लाख रू॰ है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 239.57 लाख रू॰ है। इस संघ से लगभग राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बद्ध हैं। अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण इस संघ का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। फलस्वरूप इस संघ का कारोवार लगभग ठप है।

iii) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्त परिक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में गठित है। इस समिति का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाने का कुप्रभाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार मृत प्रायः हो गया है।

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार के विगत तीन वर्षों का कार्य कलाप एवं वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रूपयें लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2014–15	61	27502	148.35	213.11	260.71
2015–16	61	27502	148.35	213.11	271.76
2016–17 (दिसम्बर 16 तक)	61	27502	148.35	213.11	271.76

iv) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का तीन वर्षों का कार्य कलाप निम्नवत् हैं :–

(रू॰लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2014–15	1813	104678	41.58	138.75	558.62
2015–16	1813	104692	41.58	136.12	181.55
2016–17 (दिसम्बर 16 तक)	1813	104692	41.58	255.91	196.28

v) व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–सा कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापा मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिय गया है। वर्त्तमान में राज्य में 521 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

विगत तीन वर्षों में व्यापार मंडल की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रू॰लाख में)

वर्ष	व्यापार मंडल की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
2014–15	521	175058	844.89	901.19	645.40
2015–16	521	175058	844.89	901.19	1362.325
2016–17 (दिसम्बर 16 तक)	521	175058	844.89	1186.36	1362.325

8. बिहार राज्य भंडार निगम

बिहार राज्य भंडार निगम "Central Warehousing Corporation Act, 1962 के तहत् गठित ग्रामीण एवं शहरी भंडारण व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था है। अधिसूचना संख्या 3240 दिनांक 12.12.1996 द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम को सहकारिता विभाग द्वारा राज्य भंडारण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। सहकारिता विभाग अन्तर्गत मात्र यही एक लोक उपक्रम है।

निगम का मुख्य कार्य कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के साथ–साथ अन्य संस्थाओ की सामग्रियों यथा खाद्यान, खाद आदि का भंडार निगम द्वारा भंडार गृहों का निर्माण किया जाता है। इस निगम के आय का मुख्य श्रोत अपने गोदामों से प्राप्त भंडारण शुल्क एवं परिवहन तथा हाथालन शुल्क है। निगम कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ–साथ कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद के भंडारण हेतु प्रशिक्षित भी करती है। निगम द्वारा भंडार गृहों के अर्जन के साथ–साथ भंडार गृहो का निर्माण भी करायी जाती है।

निगम का अधिकृत हिस्सापूँजी 10.00 करोड़ रुपये है। प्रदत्त हिस्सापूँजी 642.00 लाख है। निगम में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम का 50–50 प्रतिशत हिस्सापूँजी निवेश है।

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की उपलब्धि

- राज्य में किसानों के खाद्यान्न के अधिप्राप्ति के लिए भंडारण व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान।
- कुल भंडारण क्षमता – 5.78 लाख मे. टन
- गोदाम निर्माण :

(क)	वर्ष 2016–17 तक निगम द्वारा निजी श्रेत्र से निर्मित गोदाम	3,75,000 मे. टन
(ख)	सात वर्षीय गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण गोदाम निर्माण पूर्ण	50,000 मे. टन
(ग)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निर्माण पूर्ण	60,000 मे. टन
(घ)	कृषि रोड मैप योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण	2,35,000 मे. टन
(ङ)	कृषि रोड मैप योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर	85,000मे. टन
(च)	पी०पी०पी० मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण	1,21,680 मे० टन
(छ)	पी०पी०पी० मोड योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर	1,43,320 मे० टन

- राज्य सरकार के कृषि रोड मैप योजना अन्तर्गत 05 स्थलों पर कुल 1.30 लाख मे. टन क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 2014–15 के लिए 5 स्थलों पर कुल 1.15 लाख मे. टन के लिए टेंडर प्रक्रिया में।

व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि	2015–16	2016–17 (अनुमानित)
कुल आय	रू. 14815.00 लाख	रू. 26264.13 लाख
लाभ	रू. 2535.56 लाख	रू. 6340.58 लाख

अद्यतन भंडारण क्षमता

निर्माणाधीन भंडारण क्षमता

	बिहार	झारखण्ड	कुल
कुल स्थापित केन्द्रों की संख्या	35	9	44
कुल स्वनिर्मित क्षमता	4.24 लाख मे. टन	....	4.24 लाख मे. टन
किराया पर भंडारण क्षमता	0.32 लाख में. टन	0.36 लाख मे. टन	0.68 लाख मे. टन
कुल भंडारण क्षमता	4.56 लाख मे. टन	0.36 लाख मे. टन	4.92 लाख मे. टन

- भंडारण शुल्क में किसानों एवं सहकारी संस्थानों को 10% से 30% तक की छूट।
- अंशधारियों यथा, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम को 20% लाभांश।

निगम का भौतिक एवं वित्तीय कार्यकलाप निम्नवत् है :–

(राशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे०टन में)	आभोग (लाख मे०टन में)	आभोग का प्रतिशत	सकल आय (रू० लाख में)	लाभ (रू० लाख में)
1	2015–16	1.35	0.35	26	14815.00	2535.56
2	2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)	0.65	0.10	15.38	26264.13	6340.58

*अनुमानित

निगम का वित्तीय कार्यकलाप निम्नवत् है :–

वित्तीय उपलब्धि

(राशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	विवरणी	वर्ष	
		2015–16	**2016–17**
1	**2**	**3**	**4**
1	अधिकृत हिस्सा पूंजी		
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	500.00	500.00
	(ख) राज्य सरकार	500.00	500.00
	(ग) कुल	**1000.00**	**1000.00**
2	प्रदत्त हिस्सा पूँजी		
	(क) केन्द्रीय भंडार निगम	321.00	321.00
	(ख) राज्य सरकार	321.00	321.00
	(ग) कुल	**642.00**	**642.00**
3	व्यवसाय से कुल आय	14815.00	26264.13
4	शुद्ध लाभ	2535.00	6340.50
5	बैंक ऋण	0.00	0.00

निगम का भंडारण शुल्क निम्नवत् है :–

खाद्यान्न –	₹ 74.00 प्रति टन प्रति माह
उर्वरक –	₹ 52.00 प्रति टन प्रति माह
क्षेत्रफल दर –	₹ 12.45 प्रति वर्गफीट प्रति माह
सहकारी संस्थान/समिति –	10 प्रतिशत का छूट
कृषकों के कृषि उत्पाद का भंडारण –	30 प्रतिशत का छूट

मुख्य जमाकर्त्ता

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर॰सी॰एफ॰लि॰, पुस्तक निगम, बी॰एस॰एन॰एल॰, शिक्षा परियोजना, व्यापारी, किसान, बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 इत्यादि।

बिहार कृषि रोड मैप के अन्तर्गत

बिहार कृषि रोड मैप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–17 तक निगम के लिए 10.00 लाख मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2013–14 में 13 स्थलों पर कुल 3.20 लाख मे॰ टन क्षमता अभिवृद्धि के निर्माण कार्य शुरू है। इस योजनान्तर्गत 2.35 लाख मे॰ टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 0.85 लाख मे॰ टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजनान्तर्गत भूखंड सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) प्रांगणों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा तथा योजना लागत का 10% सहायकी के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध कराने तथा ऋण के ब्याज की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

निर्माण योजनाएँ :–

सात वर्षीय संचयन गारंटी योजनान्तर्गत गोदामो का निर्माण

निगम द्वारा 20.28 करोड की लागत से भारतीय खाद्य निगम के सात वर्षीय गांरटी योजनान्तर्गत 51.00 हजार मे॰ टन क्षमता के आधुनिक प्रौद्योगिक से निर्मित विशेष रूप से खाद्यान्नों के संचयन हेतु गोदाम निर्माण कार्य मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, बेतिया, भागलपुर, आरा, सासाराम, गुलाबबाग, फारबीसगंज में संपादित कराया गया है। अभिवृद्वि भंडारण योजनान्तर्गत निगम के द्वारा वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex) केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदुर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुक्कुटपालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिको के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, औद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरो के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर "धुरद" शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट - II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :–

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) –	8463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति –	521
3.	सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक) –	1874
4.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति –	379
5.	बचत एवं साख सहयोग समिति –	327
6.	गृह निर्माण सहयोग समिति –	2741
7.	औद्योगिक सहयोग समिति –	2647
8.	विशेष प्रकार की सहकारी समिति –	393
9.	कुकुटपालन सहयोग समिति –	237
10.	शीत भंडार सहकारी समिति –	50
11.	श्रमिक सहकारी समिति –	4577
12.	ग्रामोदय सहकारी समिति –	844
13.	महिला विकास सहयोग समिति –	430
14.	बुनकर सहयोग समिति –	1089
15.	फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति –	342
16.	तेल उत्पादक सहयोग समिति –	474
17.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति –	4279
18.	ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति –	76
19.	सिंचाई सहयोग समिति –	557
20.	संयुक्त कृषि सहयोग समिति –	406
21.	नाव यातायात सहयोग समिति –	89
22.	चर्मकार सहयोग समिति –	187
23.	परिवहन सहयोग समिति –	172
24.	सर्वोदय सहयोग समिति –	54
25.	सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति –	7887
		39095

(नोटः– पैक्स व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

परिशिष्ट – III

गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि

क्र.सं.	जिला का नाम	2010–11	2011–12	2012–13			2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		कुल
				1000 में.टन.	500 में.टन	200 में.टन.	200 में.टन.	500 मे.टन.	200 मे.टन	500 मे.टन	200 मे.टन	500 मे.टन	200 मे.टन	500 मे.टन	
1	बाँका	2	20	2	–	20	12	–	12	–	28	2	3	–	101
2	भागलपुर	–	2	2	2	19	4	–	33	–	6	–		1	69
3	समस्तीपुर	3	–	3	6	50	45	–	38	2	32	3			182
4	दरभंगा	–	–	3	1	3	30	–	34	4	16	1	1		93
5	मधुबनी	–	–	7	4	33	31	–	21	–	2	–			98
6	गया	–	–	–	–	32	86	9	42	5	13	–	5	1	193
7	नवादा	2	–	2	–	30	60	–		–	17	6	9		126
8	औरंगाबाद	1	38	12	10	67	20	–	29	–	–	–			177
9	जहानाबाद	–	–	–	–	15	17	–	31	6	–	–			69
10	अरवल	–	–	2	2	12	–	–	6	–	–	–	4		26
11	लखीसराय	5	3	1	–	11	–	–	10	3	3	–			36
12	बेगूसराय	–	5	2	4	24	10	–	7	–	26	3	1		82
13	मुंगेर	–	–	–	–	27	–	–	4	–	1	–	2		34
14	जमुई	–	–	2	7	8	37	–	37	3	9	–	2		105
15	शेखपुरा	–	–	1	–	18	1	–	3	3	7	–			33
16	खगड़िया	–	–	2	–	–	–	–	11	–	2	1			16
17	सीवान	20	–	2	4	20	51	–	9	–	10	–			116
18	गोपालगंज	4	–	–	5	20	–	–	34	–	1	–			64
19	सारण	–	8	–	2	17	–	3	3	1	8	–	4		46
20	रोहतास	10	16	5	–	40	76	4	1	2	16	8	8		186
21	भोजपुर	6	9	4	–	30	–	2	8	4	8	1	1		73
22	पटना	19	–	1	1	50	32	1	10	–	18	4			136
23	कैमूर	12	–	–	1	–	–	–	8	–	45	5	3		74
24	नालन्दा	8	–	8	2	–	–	2	1	1	–	–	1		23
25	बक्सर	–	3	–	1	28	45	–	2	–	–	–			79
26	मुजफ्फरपुर	15	7	4	7	53	53	6	7	–	14	–	2		168
27	बेतिया	11	–	6	–	20	39	5	1	10	1	–			93
28	वैशाली	2	–	3	1	–	–	–	5	2	37	2			52
29	मोतीहारी	–	–	5	1	20	24	–	–	–	3	1	2		56
30	सीतामढ़ी	–	–	1	–	20	22	1	33	2	52	3			134
31	शिवहर	–	–	–	1	–	–	–	3	–	22	1			27
32	सुपौल	–	8	4	2	21	47	2	14	1	7	1	1		108
33	मधेपुरा	–	–	3	3	20	19	3	11	1	1	–			61
34	सहरसा	–	–	1	–	11	55	–	–	1	–	–		1	69
35	पूर्णिया	–	12	5	1	20	20	–	–	–	–	–	3		61
36	अररिया	–	–	3	2	20	6	–	52	4	–	–	2		89
37	कटिहार	–	–	2	1	10	25	2	15	–	–	–			55
38	किशनगंज	–	–	2	7	30	17	–	–	–	–	–	–	–	56
कुल–		120	131	100	78	819	884	40	535	55	405	42	54	3	3266

गैसी फायर–सह–चावल मिल निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि

क्र०सं०	जिला का नाम	2008–09	2010–11	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	
1	बाँका	1	1	1	—	3	—	—	—	1	—	7
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	—	—	—	—	12
3	समस्तीपुर	—	2	2	—	3	1	—	—	3	1	12
4	दरभंगा	—	1	1	1	2	—	3	1	1	—	10
5	मधुबनी	—	1	1	1	4	1	1	—	1	—	10
6	गया	2	2	2	—	3	—	1	—	—	2	12
7	नवादा	1	1	1	—	—	—	—	—	6		9
8	औरंगाबाद	3	6	7	—	5	—	—	—	—	—	21
9	जहानाबाद	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	6
10	अरवल	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3
11	लखीसराय	—	3	1	—	2	—	1	—	3	—	10
12	बेगूसराय	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4
13	मुंगेर	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	6
14	जमुई	—	—	2	—	4	1	—	3	2	—	12
15	शेखपुरा	—	—	2	—	3	1	—	—	3	—	9
16	खगड़िया	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3
17	सीवान	3	4	2	—	3	1	—	—	2	—	15
18	गोपालगंज	—	—	3	—	4	—	3	—	—	—	10
19	सारण	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	5
20	रोहतास	2	3	5	1	3	—	14	3	16	5	52
21	भोजपुर	1	1	2	—	4	—	—	—	—	—	8
22	पटना	3	2	1	—	—	—	1	—	3	—	10
23	कैमूर	2	4	1	—	1	—	6	—	5	—	19
24	नालन्दा	—	3	6	1	4	—	5	—	—	—	19
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	—	—	—	16
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	—	4	—	—	—	3	—	13
27	बेतिया	1	4	2	1	2	—	6	—	—	—	16
28	वैशाली	2	3	3	—	2	—	—	—	4	—	14
29	मोतीहारी	3	1	3	—	2	—	1	—	—	—	10
30	सीतामढ़ी	2	3	1	—	—	—	3	—	5	—	14
31	शिवहर	—	—	1	—	3	—	1	—	3	—	8
32	सुपौल	1	1	1	—	1	1	3	1	5	—	14
33	मधेपुरा	—	2	2	—	5	—	1	—	—	—	10
34	सहरसा	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	6
35	पूर्णिया	—	1	2	1	3	1	—	1	—	—	9
36	अररिया	—	—	2	—	3	—	2	—	5	1	13
37	कटिहार	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	6
38	किशनगंज	2	—	2	—	2	1	—	—	—	—	7
	कुल	40	58	73	10	94	11	60	9	74	11	440

परिशिष्ट –IV

(विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना)

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :–

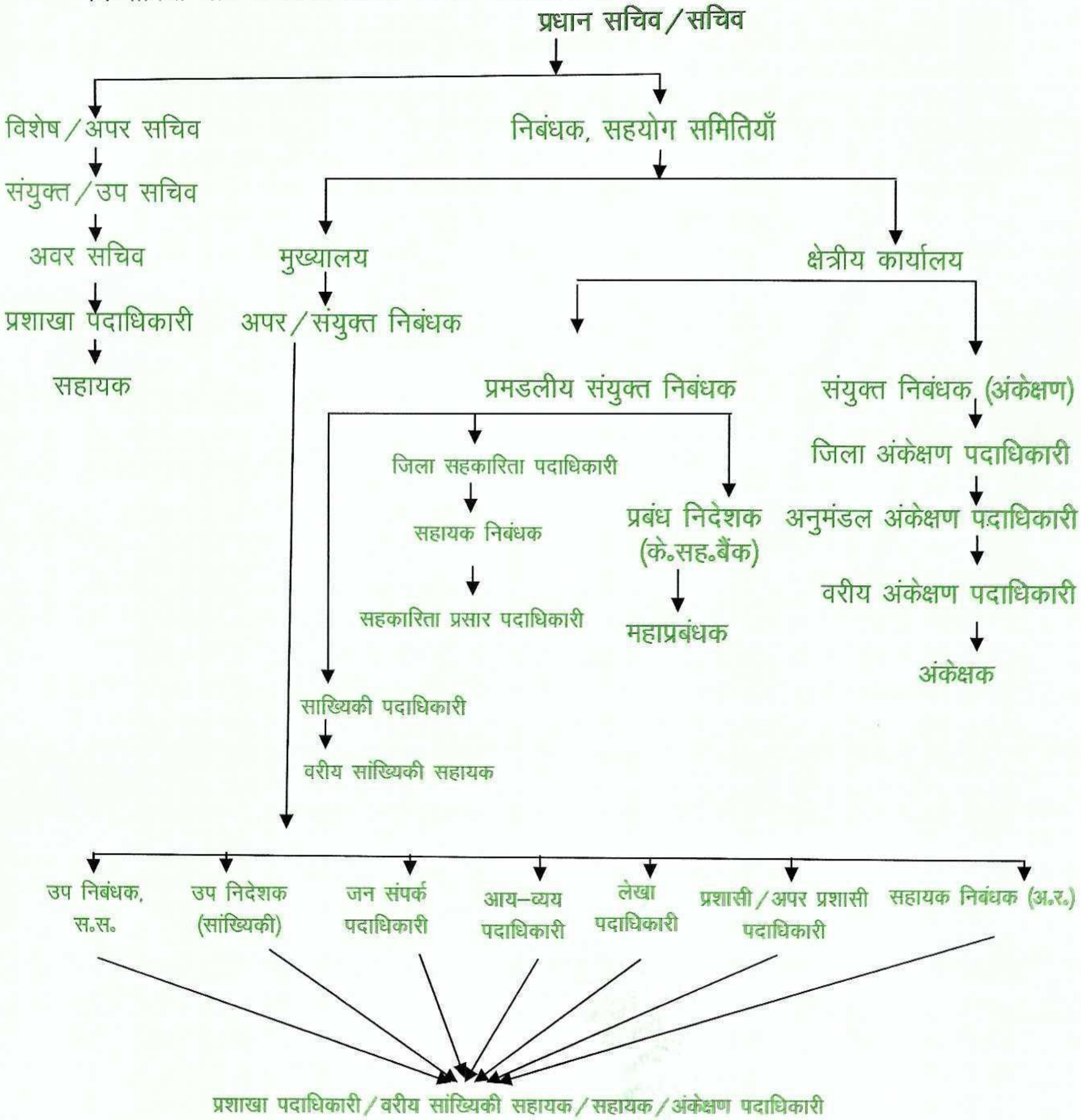

परिशिष्ट – V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		4. रोहतास
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	.2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	5. गया
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		
	9. अरवल	17. अरवल		
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		6. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		7. नवादा
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	8. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		9. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		10. सीतामढ़ी
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		11. मोतिहारी
	17 बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		12. बेतिया
4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	13. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		14. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		15. समस्तीपुर

5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	16. सारण
	22. सिवान	41. सिवान		17. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		18. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19. भागलपुर
	25. बांका	45. बांका		
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		20. मुंगेर
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		21. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		22. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	23. सहरसा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		24. पूर्णियाँ
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		25. कटिहार

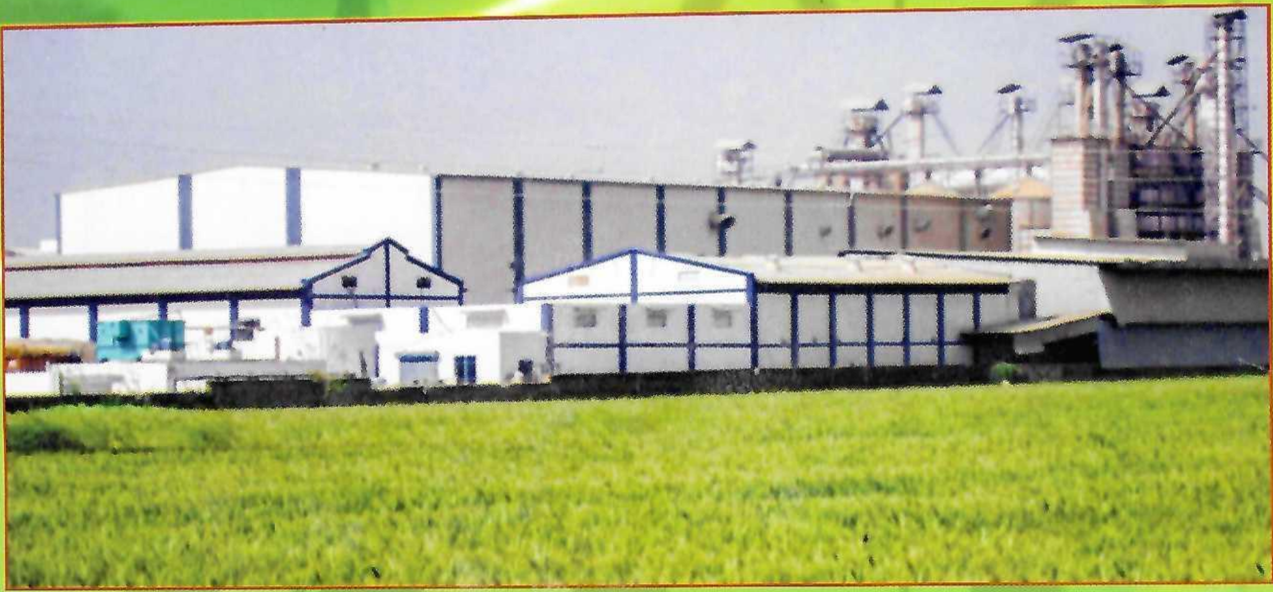

Samrat Offset, Patna